राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/10/167-A/2019-KSP

एन.बी.सी.सी के साथ दिनांक 14.10.2020 की सुनवाई का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगण:-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार
2. श्री कामरान रिजवी, अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
3. श्री राजेन्द्र चौधरी, निदेशक, नेशनल बिल्डिंग कंसट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड
4. श्री मानस कविराज, कार्यकारी निदेशक, नेशनल बिल्डिंग कंसट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड
5. अन्य अधिकारीगण, नेशनल बिल्डिंग कंसट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय:- सर, आपके निर्देशानुसार सुनवाई में उपस्थित हूं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- एडिशनल सेक्रेटरी साहब आपके पास अथॉरिटी लेटर है, इस सुनवाई में जो निर्णय लिया जाएगा या आप जो निर्णय लेंगे, मंत्रालय की तरफ से वह मान्य होगा?

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय:- सर, सेक्रेटरी साहब ने इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए मुझे अथोराइज किया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आप जो निर्णय लेंगे वह मान्य होगें?

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय:- जी सर, अथोरिटी का यही मतलब है, सेक्रेटरी साहब के विहाफ पर मैं यहां उपस्थित हूँ।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में स्वागत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एनबीसीसी की तरफ से एक रिप्लाई दिनांक 01.09.2020 को मिला है। एडिशनल सेक्रेटरी साहब आपके पास एनबीसीसी से पूरे पेपर/दस्तावेज आये है?

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- हां सर मुझे पेपर/दस्तावेज मिले है जो इन्होंने आपके यहां जमा किये थे, मुझे कल मिले है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- दिनांक 01.09.2020 को एनबीसीसी की तरफ से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक रिप्लाई दिया गया है उसमें आप एनेक्सचर-ए में 4 नंबर देख लीजिए।

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- पिछले 5 वर्षों के रोस्टर रजिस्टर की जांच करने संबंधित मंत्रालय द्वारा जारी और आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अधिकृत संबंधित पत्रावली प्रस्तुत की जाए।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- उस जवाब में एनबीसीसी ने लिखा है कि कृपया बिंदु संख्या दो पर जवाब प्रस्तुत है। आप मंत्रालय की तरफ से प्रमुख अधिकारी हैं तो बिंदु संख्या दो पर क्या जवाब दिया है वह देख ले और जरा पढ़ देंगे तो अच्छा रहेगा।

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- अनुसूचित जाति/जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संबंधित आदेशों वाला एक 53 प्रश्न का सार-संग्रह डीओपीटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन्होंने उत्तर गलत दिया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- फिर इसी पेज पर आप प्रश्न नंबर 6 देखिए।

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- सहायक कंपनी एनएसएल में तैनात एनबीसीसी के कर्मचारी हैं जो सेकेंडमेंट आधार पर तैनात हैं इसलिए पत्रों का रख-रखाव केवल निगमित कार्यालय में किया जाता है इस संबंध में संबंधित दिशा-निर्देश उपर्युक्त बिंदु संख्या 4 पर दिए गए हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आप जरा बिंदु संख्या 4 पढ़ लीजिए एडिशनल सेक्रेटरी साहब।

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- जी सर, गलत उत्तर दिया है, नंबरिंग गलत की है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- नंबरिंग गलत नहीं की है आयोग को मिसलीड किया है इस तरह से आयोग को इतनी बड़ी संस्था जवाब दे रही है।

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- इनको और ध्यान पूर्वक उत्तर देने की आवश्यकता है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- फिर आप प्रश्न संख्या 13 पर आ जाइए।

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- शपथ-पत्र में बताया गया है कि 1 मुख्य महाप्रबंधक, 5 महाप्रबंधक, 12 अपर महाप्रबंधक ओबीसी के हैं इनका ओबीसी सर्टिफिकेट और प्लेस आफ पोस्टिंग बताया जाए। कृपया अनुलग्नक के विवरण ~~6~~ VI और ~~7~~ VII देखे, पिछली रिपोर्ट में दर्शाया गया है कृपया अपर महाप्रबंधक ओबीसी की संख्या 12 के बजाय 10 पढ़ा जाए है टंकण त्रुटि के कारण 12 टाइप हो गया था जिसका हमें खेद है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- इस प्रकार से शपथ-पत्र दिया जा रहा है वह जवाब शपथ-पत्र पर दिया गया था और यह 10 के बजाय 12 पढ़ने वाला जो शपथ-पत्र है क्या इसी प्रकार से अन्य कोर्टो में भी शपथ-पत्र दिया जाता है। दो शपथ-पत्र आयोग को अलग-अलग दिया गया है।

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- बात सही है सर 12 दिखाया था, अब 10 दिखाया है और गलती मानी है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- गलती मानी है तो इस प्रकार से कितनी बार गलती होगी और मैं आईपीसी की धारा 181 आपको बता रहा हूं कि शपथ-पत्र पर गलत जानकारी देने पर क्या होता है वैसे आप इतने वरिष्ठ अधिकारी हैं जानते ही होंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 181 के अनुसार, जो कोई शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान देने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत लोक सेवक या किसी अन्य

व्यक्ति से, किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा वैध रूप से आबद्ध होते हुए ऐसे लोक सेवक या यथापूर्वोक्त अन्य व्यक्ति से उस विषय के संबंध में कोई ऐसा कथन करेगा, जो मिथ्या है, और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है, या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा। तो इस प्रकार से लगातार एनबीसीसी के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मिसलीड किया जा रहा है।

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- इसकी सूचना अभी साथ में नहीं है हमारे यहां के नोडल ऑफिसर इसमें अपॉइंटेड है जो इस काम को देखते हैं। इस काम के लिए 2019 में एक कमेटी बनी है उसको एक्सपर्ट कमेटी कहते हैं 5 फरवरी 2019 को एक्सपर्ट कमेटी की आखरी मीटिंग हुई थी उसके बाद मीटिंग नहीं हुई है, उस मीटिंग में ~~भी सेस्टर की जांच नहीं हुई है।~~ NBCC के SC/ST/OBC की backlog Vacancy को भरने की चर्चा हुई थी।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- मैं कमेटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रोस्टर चेक करने की बात भी नही कर रहा हूं सरकार के सारे मंत्रालयों में ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक वर्ष कोई अधिकारी जाकर संबंधित पीएसयू में रोस्टर चेक कर सकता है और उसकी रिपोर्ट संबंधित मंत्रालय को देता है। आपने नॉमिनेट किया है?

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- सर, नॉमिनेशन किया हुआ है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- अंतिम बार कब नॉमिनेट कब किया गया था?

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- दिनांक 17.12.2018 को नॉमिनेशन हुआ है। मिस्टर राम संजीवन सिंह निर्देशक स्तर के अधिकारी हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- लाईसन ऑफिसर किस केटेगरी से हैं?

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- ओबीसी कैटेगरी के हैं।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः-</u> ठीक है इनका ओबीसी सर्टिफिकेट आयोग को भिजवा दीजिएगा।

<u>अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः-</u> सर उन्होंने जांच की है या नहीं की है अभी रिपोर्ट नहीं मिल पाई है लेकिन ये नॉमिनेटेड है और ओबीसी कैटेगरी के हैं।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः-</u> आप एडिशनल सेक्रेटरी हैं, आप समझ लीजिए कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री ओबीसी के वेलफेयर को लेकर कितने चिंतित हैं 24 घंटे लगातार इस देश की 54% आबादी के लिए विशेष तौर से चिंतित हैं और यहां मंत्रालय के लाईसन ऑफिसर द्वारा रोस्टर चेक नहीं किया जा रहा है जिसका परिणाम है कि मुझे मंत्रालय के लोगों को तकलीफ देना पड़ा और आपको भी आने का जहमत उठाना पड़ा।

<u>अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः-</u> सर यह हम लोगों के कार्य की जिम्मेदारी है और जो आपने यह इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है इससे हम लोग भी काम में सजग ~~होंगे~~ हैं और इसमें मेहनत ~~की और आवश्यकता है~~। कर रहे हैं।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः-</u> एनबीसीसी ने अपने जवाब में बताया है कि 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट में एचएससीएल के ग्रुप-ए में 227 अधिकारी संविदा के आधार पर कार्यरत हैं इससे संबंधित रोस्टर रजिस्टर उपलब्ध नहीं है आगे यह भी बताया गया है संविदा की नियुक्ति के समय रोस्टर रजिस्टर बना लिया जाएगा। एक तरफ तो जो अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध है उनका रोस्टर रजिस्टर नही बनाया जा रहा है और एक तरफ यह आश्वासन दिया जा रहा है, संभावनाओं के आधार पर बताया जा रहा है कि आगे से रोस्टर बना लिया जाएगा।

<u>अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः-</u> सर इन्होंने जो उत्तर दिया है मैं पढ़ कर बताता हूँ।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः-</u> जी।

<u>अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः-</u> एनबीसीसी लिमिटेड द्वारा एचएससीएल/एचएससीसी का ~~अधिकरण~~ अधिग्रहण 01.04.2017 ~~को~~ से एक सहायक कंपनी के रूप

में किया गया था और अब यह आवासन एवं शहरी मंत्रालय के अधीन है। एनबीसीसी (आई) लिमिटेड के द्वारा एचएससीएल के अधिग्रहण के बाद संविदा के आधार पर कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है तथा कोई भी रोस्टर रजिस्टर उपलब्ध नहीं है ~~यानी कि जो इन्होंने टेकओवर किया है उसका रोस्टर रजिस्टर नहीं मिला है,~~ संविदा पर नियुक्ति के समय रोस्टर रजिस्टर ~~बनाना चाहिए जहां से यह कंपनी आई है~~ बनाया जाएगा। वहां से रोस्टर ले लेंगे और अब से नियुक्ति करेंगे तो रोस्टर रजिस्टर बनाएंगे और निर्देश दे देंगे कि भर्ती करने से पहले रोस्टर रजिस्टर बनेगा और जो आरक्षण के निर्देश है उसका अनुपालन किया जाएगा।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- 20.08.2020 की सुनवाई के दौरान एनबीसीसी ने कहा था कि एनबीसीसी की सब्सिडियरी कंपनी का रोस्टर रजिस्टर अलग से नहीं बनता है, दूसरी तरफ आपके द्वारा यह बताया गया है कि एचएससीसी का रोस्टर रजिस्टर अलग से तैयार किया जाता है।

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- सर, ~~इन्होंने~~ 8वे नंबर में ~~बिल्कुल विरोधाभास उत्तर दिया है और~~ आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर भी ये देंगे। ~~आपके 8 नंबर प्रश्न में कहा है 20.08.2020 के दौरान एनबीसीसी ने कहा था कि सब्सिडियरी कंपनी का रोस्टर रजिस्टर अलग से नहीं बनाता है।~~ सर मैं उनके डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूं कि बताएं क्या उत्तर दिया है?

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आज तो आप से बात करने का दिन है उनसे तो कई बार बात कर चुके हैं।

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- इसमें इनकी 4-5 सब्सिडियरी हैं, डायरेक्टर साहब सब्सिडियरी वाइज बताएं कि किस सब्सिडियरी का आपने उत्तर दिया है कि रोस्टर नही बन रहा है।

निदेशक, एनबीसीसीः- एनएसएल और एनईसीएल जो हमारी सब्सिडियरी है जिसमें एनबीसीसी के ही लोग हैं उनका तो एनबीसीसी में ही रोस्टर मेंटेन होता है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- एनबीसीसी में किस का रोस्टर मेंटेन होता है?

निदेशक, एनबीसीसीः- एनईसीएल और एनएसएल जो हमारी खुद की सब्सिडियरी है क्योंकि इन सब जगह पर एनबीसीसी के आदमी ही पोस्टेड हैं जबकि एचएससीसी में उनके पूरे एंप्लाई हैं और हमारे कुछ एंप्लाई गए हुए हैं और जो एचएससीएल में भी जो उनके एंप्लॉय आ गए थे और हमारे ऊपर से कुछ हमारे एंप्लॉय गए हुए हैं तो जो हमारी सब्सिडरी है उनका तो एनबीसीसी में ही रोस्टर मेंटेन होता है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आपने आयोग को जो रोस्टर उपलब्ध कराया है उसमें वो लोग हैं?

निदेशक, एनबीसीसीः- एनईसीएल, एनएसएल और आरडीसीसी राजस्थान गर्वनमेंट के साथ एक जाइंट वैंचर हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- अभी एनबीसीसी में कौन-कौन सी कंपनियां पिछले एक-दो साल में Amalgamate हुई हैं?

निदेशक, एनबीसीसीः- एचएससीएल और एचएससीसी मर्जर है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- Merger और Amalgamation में क्या अंतर है?

निदेशक, एनबीसीसीः- हमने एचएससीएल टेकओवर किया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आपने अभी कहा है कि Amalgamate नहीं किया है Merge किया है, तो अंतर बता दीजिए?

निदेशक, एनबीसीसीः- हम Merger या takeover ही यूज करते हैं अभी Amalgamation यूज नहीं किया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आपके यहां सभी सब्सिडियरीज में रिजर्वेशन है?

निदेशक, एनबीसीसी:- अभी तक जो मुझे पता है एचएससीसी और एचएससीएल में अभी तक रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:- संभावनाओं के आधार पर जवाब मत दीजिए। डायरेक्टर साहब आप सीएमडी साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय साहब मंत्रालय के तरफ से बैठे हैं कोई भी बात संभावनाओं के आधार पर मत कीजिए।

निदेशक, एनबीसीसी:- सर मैं माफी चाहूंगा, उनमें भी रिजर्वेशन है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:- सभी सब्सिडियरीज में रिजर्वेशन है?

निदेशक, एनबीसीसी:- सर हमारी सब्सिडियरी एनएसएल, एनएसईएल और एनबीसीसी गल्फ जो कि हम अभी बंद कर रहे हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:- आयोग को यह बताए की कुल कितनी सब्सिडियरीज कंपनियां हैं और कितने में रिजर्वेशन दे रहे है?

निदेशक, एनबीसीसी:- सब में रिजर्वेशन है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:- ठीक है आप एक शपथ-पत्र पर लिखकर भेजिए कि आप सभी सब्सिडिरीज में ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं और सब का रोस्टर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजिए, कितना समय लेंगे?

श्री मानस कविराज, कार्यकारी निदेशक, एनबीसीसी:- सर उसमें 15 दिन का टाइम दिया जाए क्योंकि एचएससीएल कोलकाता में है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:- मानस जी नया रोस्टर क्रिएट करेंगे क्या?

श्री मानस कविराज, कार्यकारी निदेशक, एनबीसीसी:- सर अभी तो एचएससीएल का रोस्टर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से कलेक्ट करने में टाईम लगेगा और एचएससीसी का

नोएडा में ऑफिस है मैं खुद पर्सनली जा कर ले आऊंगा जहां पर जो भी अवेलेबल है यहां पर सचिव महोदय ने आपके सामने जो आश्वासन दिए हैं उसको पूरा करूंगा।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आश्वासन तो कई महीनों से मिल रहा है मुझे।

श्री मानस कविराज, कार्यकारी निदेशक, एनबीसीसी:- सचिव महोदय ने हम लोगों को अभी डायरेक्शन दिया है कि आप इसको पर्सनली देख कर साहब को दीजिए, हम दे देंगे शपथ-पत्र के साथ, थोड़ा समय दिया जाए। सर, आपने जब बोला है हम लोगों ने दिया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- वह तो आपके अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय साहब ने देख लिया है। डायरेक्टर साहब यह बताइए कि आप लोग डीओपीटी के आर्डर मानते हैं कि नहीं मानते हैं?

निदेशक, एनबीसीसी:- सर, हर आर्डर हमें मानना है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- डीएफएस का एक आर्डर है जिसका नंबर 2/02/2013-वेलफेयर तथा दिनांक 06.11.2013 है और इसमें पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पर रोस्टर डालने के लिए लिखा है, तो क्या इस आर्डर को माना गया है?

श्री मानस कविराज, कार्यकारी निदेशक, एनबीसीसी:- सर हमारा जो इंटरनल टीआरपी सिस्टम है उसमें डाला हुआ है। ई आरपी

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- क्या कोई भी सामान्य आदमी आपके वेबसाइट से देख सकता है?

निदेशक, एनबीसीसी:- मानस इसको टीआरपी में डाला हुआ है इसको पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पर डालना है। ई आरपी

श्री मानस कविराज, कार्यकारी निदेशक, एनबीसीसी:- सर यह डोमेन में आ जाएगा, अभी तो इंटरनल डोमेन में है इसको वेबसाइट पर डाल देंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- मंत्रालय द्वारा एनबीसीसी का रोस्टर अंतिम बार कब चेक हुआ है?

श्री मानस कविराज, कार्यकारी निदेशक, एनबीसीसीः- सर मंत्रालय द्वारा जनवरी 2020 को चैक किया गया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- जो रोस्टर आपने आयोग को दिया है ईस पर मंत्रालय के लाईसन ऑफिसर के साइन हैं?

श्री मानस कविराज, कार्यकारी निदेशक, एनबीसीसीः- सर, हमारे लाईसन ऑफिसर के साईन है मंत्रालय ने इसको देख लिया था कि ठीक से मैंटेन हो रहा है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आपने आयोग को गलत रोस्टर क्यों दिया जिसमें मंत्रालय के लाईसन ऑफिसर के साईन नहीं है जब जनवरी, 2020 में वेरीफाइड हुआ था तो आपको सर्टिफाइड कॉपी देना चाहिए था।

श्री मानस कविराज, कार्यकारी निदेशक, एनबीसीसीः- डायरेक्टर बुलाते हैं बोलते हैं दिखा दो तो हम लोग दिखा देते हैं सर।

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- सर इन्होने साइन नहीं कराया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय साहब Cases of negligence or lapse in the matter of following the reservation and other orders relating to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes the person the persons with Disabilities and the Other Backward Classes coming to the light through the inspections carried out by the liaison Officer or otherwise, should be reported/submitted by him to the Secretary/Additional Secretary to the Government of India in the respective Ministry / Department or to the Head of the Department in respect of offices under the Head of Department, as the case may be. The concerned Secretary/Additional Secretary/Head of the Department shall pass necessary orders on such reports to ensure strict compliance of the reservation orders by the appointing authority concerned यह डीओपीटी का आर्डर है।

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- सर मैं देख रहा हूं इसको 4 जनवरी 2013 का ऑर्डर है ।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- तो आपसे जानना चाहता हूं कि इतनी लापरवाही पर आप कौन-सा एक्शन लेने जा रहे हैं।

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- सर क्योंकि आज पहली मीटिंग है तो हम लोग लाईसन ऑफिसर से पूछेंगे कि उन्होने रोस्टर चेक किया है कि नहीं किया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आज जब आप जैसे बड़े अधिकारी मीटिंग में आ रहे है तो लाईसन ऑफिसर जिनको मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधि के रूप में एनबीसीसी में नॉमिनेट किया गया हैं उनको यहां रहना चाहिए था।

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- सर वह मंत्री जी के कार्यक्रम में गए हुए हैं मैंने उनको सुबह बुलाकर बात की थी और ~~उनसे ऑर्डर लिए थे~~ उनसे पता किया था वह किस कैटेगरी के हैं। सर (x) Questionnaire (x)(x) हमको नहीं मिला था कि आयोग आज क्या प्रश्न करने वाला है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- एनबीसीसी ने पूरी पत्रावली नहीं भेजी थी?

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- इन्होंने ~~पूरा~~ सेट भेजा था। परन्तु उसमें सारे प्रश्न और उत्तर नहीं थे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- मैं अपर सचिव साहब से कोई अलग प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं जो मुझे जवाब दिया गया है उन्हीं जवाबों को मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एनबीसीसी किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करता है, किस प्रकार से इनके अधिकारियों का संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं है, किस प्रकार से यह लोग संवैधानिक संस्थाओं को गुमराह करना चाहते हैं जबकि इनके सीएमडी साहब ने यह शपथ-पत्र पर दिया है।

(x) NBCC से पूछे गये
(x)(x) और उत्तर

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय:- मैंने देखा है सर, असावधानी बरती गई है संवैधानिक संस्थाओं को उत्तर देने में जो गहराई से देखना चाहिए था नहीं देखा गया है, उसमें लैप्स हुआ है और जो कमीशन की नाराजगी है वह बिल्कुल जायज है और होना भी चाहिए।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- सवाल कमीशन की नाराजगी का नहीं है, हम सारे लोग संविधान के द्वारा बनाए गए हैं जो जिम्मेदारी दी गई है संवैधानिक जिम्मेदारी है और यह देश की 54% आबादी के प्रतिनिधित्व का सवाल है और एनबीसीसी बहुत बड़ी संस्था है जब इतनी बड़ी संस्थाओं में इस प्रकार का गैर-जिम्मेदाराना काम किया जाएगा तो यह निश्चित रूप से पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता है जो कि इस व्यवस्था में काम करने वाले लोगों पर प्रश्न खड़ा करता है और जो वर्तमान व्यवस्था क़ाम कर रही है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह भी उठाता है। इसलिए इन सारे प्रश्न चिन्हों को दूर करने के लिए आयोग आपसे अपेक्षा करता है कि जिन लोगों ने आयोग को मिसलीड किया है और गलत शपथ-पत्र दिया है।

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय:- सर इन लोगों को एक मौका और दे क्योंकि इनके सीएमडी आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उनको भी एक बार सुन लेते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- मैं आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहता हूं कि एनबीसीसी किस प्रकार से ओबीसी कैटेगरी के साथ काम कर रहा है। एनबीसीसी द्वारा ओबीसी कैटेगरी का सेपरेट इंटरव्यू किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओबीसी का इंटरव्यू अलग करने की डीओपीटी की कोई भी गाइडलाइन हो या कोई नियम हो तो आयोग को दिखा दिया जाए कि ओबीसी का सेपरेट इंटरव्यू करने का आदेश है।

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय:- ऐसा कोई आदेश संज्ञान में नहीं है कि ओबीसी की इंटरव्यू अलग डेट को किया जाए अगर कोई विशेष रिक्रूटमेंट ड्राईव अगर चलती हो तो उसमे क्योंकि सारे ओबीसी होगें तो उसमें ~~नहीं~~ अलग से इंटरव्यू ~~लेना चाहिए~~ होगा। OBC का

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- जो नॉर्मल ड्राइव चलती है उसकी बात कर रहा हूं स्पेशल ड्राइव का तो सवाल ही नहीं है यह लोग रोस्टर तक तो बना नहीं रहे हैं स्पेशल ड्राइव कहां से चलाएंगे।

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- इसमें डायरेक्टर साहब बताइए सर जो पूछ रहे हैं क्या ओबीसी के कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू का अलग से डेट के लिए लिखा है।

श्री मानस कविराज, कार्यकारी निदेशक, एनबीसीसीः- जब हम विज्ञापन निकालते है तो उसमें रिजर्वेशन पूरा करते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- मानस जी मैं यह पूछ रहा हूं कि ओबीसी का सेपरेट इंटरव्यू करने का डीओपीटी/ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई गाइडलाइन या आर्डर है?

श्री मानस कविराज, कार्यकारी निदेशक, एनबीसीसीः- सर, ओबीसी का सेपरेट इंटरव्यू करने का तो ऐसा कुछ देखा नहीं है।

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- सर आपने प्रश्न नंबर 19 में पूछा है Are the Other Backward Classes (OBC) candidates interviewed on separate dates/time on which the general candidates are interviewed for various posts? इन्होंने ~~डेट ऑफ इंटरव्यू अलग-अलग करके लिखा है~~। इसका उत्तर दिया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- इसके संदर्भ में डीओपीटी की कोई गाइडलाइन हो तो मुझे बताइए?

श्री मानस कविराज, कार्यकारी निदेशक, एनबीसीसीः- सर उनको ग्रुप में बुलाते हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- ग्रुप की बात नहीं है आप सेपरेट इंटरव्यू करते हैं आप ने लिख कर दिया है डीओपीटी की कोई गाइडलाइन है तो दे दीजिए।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- डायरेक्टर साहब जब जानकारी नहीं है तो मीटिंग में क्यों आए है?

निदेशक, एनबीसीसीः- सर मुझे अभी 2 घंटे पहले बताया गया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आप सीएमडी साहब के स्थान पर यहां आए है तो आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए थी।

निदेशक, एनबीसीसीः- मैं सर माफी चाहूंगा, मुझे 1 घंटे पहले बताया गया है कि आप मीटिंग अटैंड कर लीजिए।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आप आयोग को शपथ-पत्र लिखकर भेजिए कि आपको 1 घंटे पहले भेजा गया है और इतना ही नहीं एक 16 प्रश्नों वाली प्रश्नावली भेजी गयी थी उसमें प्रश्न नंबर दो पर लिखा था कि how many times group-wise post based roster has been recasted between 08.09.1993 to 31.12.2018 by NBCC and its subsidiaries तो इनका रिप्लाई है कि it is recasted year-wise and maintained accordingly तो क्या यह प्रतिवर्ष रिकास्ट होता है?

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- सर मेरे सामने यह वाली प्रश्नावली नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आपको तो निश्चित रूप से इन लोगों के ऊपर कार्यवाही करना चाहिए कि आपको भी बिना तैयारी के इन लोगों ने बुला लिया, कमीशन को गुमराह कर रहे हैं, मंत्रालय को गुमराह कर रहे हैं।

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयः- बात ठीक है सर, जो आपने प्वाइंटआउट किया है ~~क्लीयरिंग मिस्टेक है~~ एक ऐफिडेविट पर इस लेवल पर सरकारी सेवक को सूचना नहीं देनी चाहिए।

ऐसी

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- यह शपथ-पत्र पर दिया गया है।

लेकिन आप इसको सीरियस कंसर्न में लीजिए और उस सुनवाई के बाद आपसे अपेक्षा है कि निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय:- ठीक है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- सारे डॉक्यूमेंट्स आयोग को उपलब्ध कराये जाए।

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय:- ठीक है सर। सीएमडी, एनबीसीसी को मौका दें और इस बार त्रुटिहिन, 100% सही डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, जो आपने प्वाइंट आउट किया है सारी कमी दूर करके फ्रेश शपथ-पत्र फाईल करेंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- ठीक है धन्यवाद।

सुनवाई सम्पन्न।

(श्री मानस कविराज)
कार्यकारी निदेशक
नेशनल बिल्डिंग कंसट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड

(श्री राजेन्द्र चौधरी)
निदेशक
नेशनल बिल्डिंग कंसट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड

(श्री कामरान रिजवी)
अपर सचिव
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार